न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक लखन राय वगैरह ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष बहादुर राय वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....176........सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05/09/21	आवेदक लखन राय एवं अन्य पे० स्व० नागेश्वर राय सा० - खैरीडीह थाना - बिरनी जिला - गिरिडीह द्वारा द० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा - खैरीडीह, खाता सं० - 208, प्लॉट सं० - 278, रकबा - 60 डी० चौ० उ० - रास्ता, प० - रैयती प्लॉट 676 जमीनदार, पू० - जुना प्लॉट, प० - रैयती प्लॉट 676 जमीनदार में भूमि विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच / मंतव्य अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी बिरनी से माँगे। अभिलेख दि० 16/09/21 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 9/9/21 अ० प० दं० (हस्ताक्षर) 9/9/21 अ० प० दं०	308 / 05/09/21

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी बिरनी के पत्रांक 2186/21 दिंनाक 17/09/21 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादाग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 21/10/21 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया।	
21/10/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। To 28/10/21	

और तारीख		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/10/21	प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख 18/11/21 को रखें। अनु० प्रधान	
18/11/21	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष उपस्थित। पु० दाखिल करें। To 25/11/21 [signature] 18/11	
25/11/21	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि को अनिबंधित हुकमनामा से प्राप्त करने का उल्लेख अपने आवेदन में किया है लेकिन तत्सम्बन्धी सरकारी रसीद दाखिल नहीं किया गया है। चूँकि प्रश्नगत भूमि सरकारी	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	रखने की भूमि तथा उसके स्वामित्व के सम्बन्ध उभय पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि अपने अभिरक्षा में ले लें। इस विनेचन के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.12.01 14:34:22 +05:30
Location: 192.168.43.238